"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2002—ज्येष्ठ 3, शक 1924

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2002

क्रमांक 1227/944/2002/1/2.—राज्य शासन श्री आर. डी. मीना, भा. प्र. से. (डब्ल्यू. बी.-1984) आवासी आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को आगामी आदेश तक पदेन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**इंदिरा मिश्र**, प्रमुख सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 7 मई 2002

क्रमांक 1244/916/2002/साप्रवि/स्था.—श्री विवेक ढांड, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण,नगरीय प्रशासन व विकास



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

विभाग को दिनांक 16 मई, 2002 से 31 मई 2002 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विवेक ढांड को आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री ढांड को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक ढांड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विवेक ढांड के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री एम. के. राउत, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

6. श्री विवेक ढांड द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राउत, सचिव, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के कार्य से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2002

क्रमांक 1250/988/साप्रवि/2002/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1153/952/साप्रवि/1/2, दिनांक 24 अप्रैल 2002 द्वारा श्री व्हीं. के. कपूर, आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को दिनांक 26-4-2002 से 4-5-2002 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

2. उक्त आदेश को एतद्द्वारा आंशिक संशोधित किया जाकर श्री कपूर को दिनांक 29-4-2002 से 4-5-2002 (6 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28-4-2002 तथा 5-5-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3. आदेश दिनांक 24-4-2002 की कंडिका 2, 3 एवं 4 यथावत रहेगी.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2002

क्रमांक 1273/1037/साप्रवि/2002/1/2.—श्री सुनील कुमार, सचिव, मुख्य मंत्री, मंत्रालय को दिनांक 6 मई 2002 से 15 मई 2002 (10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 5 मई 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार को आगामी आदेश तक सचिव, मुख्य मंत्री, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सुनील कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 1285/873/साप्रवि/2002/2/एक.—इस विभाग का आदेश क्रमांक 547/329/साप्रवि/2002/2, दिनांक 26 फरवरी 2002 द्वारा श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग को दिनांक 8-4-2002 से 30-4-2002 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 1287/1033/साप्रवि/2002/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, उप-सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 24-4-2002 से 29-4-2002 (6 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जिस प्रकार अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी को वित्त विभाग में, उप-सचिव के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विभा चौधरी**, उप-सचिव.

## गृह (सामान्य) विभाग
## (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 9-24/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2002 को प्रश्न-पत्र स्थानीय शासन अधिकारियों-अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **निम्नस्तर** | |
| | **रायपुर-संभाग** | |
| 1. | कु. सोना धुर्वे | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |
| 2. | श्रीमती उषा मिश्रा | पर्यवेक्षिका |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 3. | श्रीमती अरूणा तिवारी | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 9-29/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2002 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्चस्तर** | |
| | **रायपुर-संभाग** | |
| 1. | श्री दिलीप कुमार अग्रवाल | सी. ई. ओ. |
| 2. | श्रीमती उषा मिश्रा | पर्यवेक्षक |
| 3. | कु. मेहर अफरोज खान | पर्यवेक्षक |
| | **निम्नस्तर** | |
| | **रायपुर-संभाग** | |
| 1. | श्रीमती राजकुमारी माग्रे | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |
| 2. | कु. सोना धुर्वे | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |
| | **बस्तर-संभाग** | |
| 3. | श्रीमती मालती वट्टी | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 4. | श्री शिवशंकर ग्वाला | सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी. |

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

### शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 9-9/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों की "अधिसूचना" जो दिनांक 27-3-2002 को (प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया विषय) में जारी किया गया है, में बिलासपुर संभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) |
|---|---|---|
| | **उच्चस्तर** | |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 1. | श्रीमती पुष्पा साहू | डिप्टी कलेक्टर |
| | **निम्नस्तर** | |
| | **बिलासपुर-संभाग** | |
| 1. | श्री गोशनर कुजूर | सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख. |
| 2. | श्री संदीप ठाकुर | नायब तहसीलदार |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेणु पिल्ले**, संयुक्त सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 अप्रैल 2002

क्रमांक 688/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बालोद | भर्रीटोला प. ह. नं. 28 | 0.12 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर. | पुल के पहुंचमार्ग निर्माण के संबंध में. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अप्रैल 2002

क्रमांक 690/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बालोद | कुरुटोला उर्फ नयापारा प. ह. नं. 28 | 0.35 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर. | झलमला-घोटिया-डौंडी मार्ग के कि.मी. 34/8 पर निर्माणाधीन भर्रीटोला नाला पुल के पहुंच-मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, जो उसके संबंध में लागू होते हैं.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | कोदवा<br>प. ह. नं. 5 | 0.51 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | मरजादपुर, जलाशय योजना निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, जो उसके संबंध में लागू होते हैं.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | गिधवा<br>प. ह. नं. 6 | 1.05 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | मरजादपुर, जलाशय योजना निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | बहरबोड़ प. ह. नं. 5 | 8.07 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | मरजादपुर, जलाशय योजना |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | पेंड्रीतराई प. ह. नं. 16 | 0.34 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | सकरी फेस-2 योजना मुख्य नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 07/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | सनकपाट प. ह. नं. 22 | 1.48 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | छितापार जलाशय योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | लोलेसरा प. ह. नं. 24 | 0.90 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | करूवा व्यपवर्तन योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

**क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2002**—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि **की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने** दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: **भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)** की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा **इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5)** में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की **उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है,** राज्य शसन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 "अ" **के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे,** क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, जो उसके **संबंध में लागू होते हैं.**

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | भुरकी<br>प. ह. नं. 25 | 1.20 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | हथमुडी व्यप. योजना मुख्य नहर निर्माण. |

**भूमि का नक्शा (प्लान)** अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | खाम्ही<br>प. ह. नं. 1 | 13.37 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | मोहरंगिया व्यपवर्तन योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | झाल<br>प. ह. नं. 7 | 2.52 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | झाल जलाशय डूबान. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | ताला<br>प. ह. नं. 33 | 0.23 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा. | ताला पहुंचमार्ग. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 मई 2002

क्रमांक 637/प्र.1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| ज़िला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | साजा | केहका प. ह. नं. 19 | 2.31 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | करां व्यपवर्तन |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 मई 2002

क्रमांक 637/प्र.1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | साजा | देवकर प. ह. नं. 27 | 0.79 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | नर्बदा व्यपवर्तन योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 मई 2002

क्रमांक 639/प्र.1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | साजा | सोमईकला प. ह. नं. 22 | 0.17 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | झिपनिया जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 मई 2002

क्रमांक 640/प्र.1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | साजा | रूसे प. ह. नं. 36 | 0.65 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | गातापार जलाशय के वेस्टवियर का निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>
**आई. सी. पी. केसरी,** कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 मई 2002

क्रमांक 1755/प्र. 1/अ-82/2001-2002 भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता. है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-दुर्ग
(ग) नगर/ग्राम- निकुम, प. ह. नं.-23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.70 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 681/2 | 0.45 |
| 673/1 | 0.30 |
| 671/1 | 0.90 |
| 662 | 0.15 |
| 652 | 0.05 |
| 644/1 | 0.05 |
| 627 | 0.20 |
| 616 | 0.25 |
| 678/1 | 0.50 |
| 673/2 | 0.20 |
| 665/1 | 0.15 |
| 661/1 | 0.10 |
| 653 | 0.60 |
| 635/1 | 0.95 |
| 628/2 | 0.35 |
| 677 | 0.20 |
| 673/3 | 0.35 |
| 659 | 1.40 |
| 661/3 | 0.30 |
| 651 | 0.15 |
| 634 | 0.05 |
| 629 | 1.00 |
| 675 | 0.35 |
| 673/4 | 0.15 |
| 661/2 | 0.10 |
| 660 | 0.05 |
| 643 | 1.90 |
| 633/1 | 0.85 |
| 621 | 0.65 |
| कुल 29 | 12.70 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निकुम खरखरा मोहदीपाट सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-ताला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 304 | 0.50 |
| 285 | 0.05 |
| .330 | 0.22 |
| 414 | 0.28 |
| 286/2 | 0.46 |
| 329 | 0.15 |
| 478/1 | 0.30 |
| योग | 1.96 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहभट्ठा व्यप. योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 2/भू-अर्जन/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसिंघी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 238/1 | 0.05 |
| योग | 0.05 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -हाफ नदी में पुल एवं पहुंचमार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केसरी**, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2002

क्रमांक 1694/छै-वित्त-17/2002.—श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर, जिला बस्तर को दिनांक 5-4-2002 से 24-4-2002 तक 20 दिनों का अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 25-4-2002 के शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

2. उनके अवकाश अवधि में श्री सुबोध सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने कार्य के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

3. श्री एन. के. खाखा, अवकाश से लौटने पर पुनः अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री खाखा के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुबोध सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपर कलेक्टर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर को वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खाखा अर्जित अवकाश में प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर बने रहते.

6. उक्त अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् उनके खाते में 220 दिनों का अर्जित अवकाश देय होगा.

जगदलपुर, दिनांक 8 मई 2002

क्रमांक 2079/छै-वित्त-17/2002.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1693/छै-वित्त-17/2002, दिनांक 16-4-2002 के अनुक्रम में श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर, जिला बस्तर को दिनांक 25-4-2002 से 4-5-2002 तक कुल 10 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री एन. के. खाखा, अवकाश से लौटने पर पुनः अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर जगदलपुर/नारायणपुर को वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खाखा अर्जित अवकाश में प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर बने रहते.

5. उक्त अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् उनके खाते में 210 दिनों का अर्जित अवकाश देय होगा.

सही/-
( पी. सी. दलेई )
कमिश्नर.

---

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH & CHHATTISGARH

High Court Campus, Jabalpur-482007

Phone-321869

## NOTICE OF ELECTION

(Under Rule 6 of Election Rules)
(For Election of Members of State Bar Council of Chhattisgarh)

Jabalpur, 4th May 2002

No. SBC/CHG/Election-02/Notfn. No. 3/02.—State Bar Council of Madhya Pradesh & Chhattisgarh through this

Notification. notify the Election Programme for Election of Members of State Bar Council of Chhattisgarh. Advocates who are willing to contest the Election for the Members of State Bar Council of Chhattisgarh may file their Nomination Papers before the undersigned in State Bar Council Office. High Court Campus. Jabalpur on the dates mentioned in this Notification. along with the security amount of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand & Five Hundred only) to be tendered either in cash or through a Bank Draft drawn in favour of State Bar Council of M.P. payable at Jabalpur. Nomination papers will be accepted between 11 A.M. to 4 P.M. and a candidate may also file an additional Nomination Paper. Prescribed Nomination Form may be obtained by the desirous candidates from the undersigned at Jabalpur on any working day, between 11 A.M. to 4 P.M. duly filled up Nomination Papers may also be accepted through Proposer/ Seconder or through an Agent duly authorised in writing by the candidate or through Registered Post so as to reach the same on or before the dates specified in this Notification. The Election Programme is as under :

ELECTION PROGRAMME

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dates for filing of Nomination | : | 13th. 14th & 15th May 2002 |
| 2. | Date of Scrutiny | : | 16th May 2002 |
| 3. | Dates for withdrawal of Nomination | : | 22nd & 23rd May 2002 |
| 4. | Publication of list of contesting candidates | : | 26th May 2002 |
| 5. | Date of Polling | : | 8th July 2002 |
| 6. | The date, time & place for counting of votes. | : | 18th July 2002 on wards every day from 11 A.M. to 5 P.M. in State Bar Council Meeting Hall. High Court Campus. Jabalpur. |
| 7. | Minimum number of Seats to be filled up from amongst the Advocates who on the relevant date of this Notification have been on the State Roll for at least Ten Years. | : | 13 (Thirteen) |

Sd/-
**(Rajendra Jain)**
Returning Officer & Secretary.